f'k{kkfe= ekuuh; mPp U;k;ky; i:dj.k dh fLFkfr

1. रिट याचिका सं0 40756/06 विपिन कुमार बनाम उ0प्र0 सरकार आदि में पारित आदेश दिनांक 1.8.2006 जिसमें जिलाधिकारी को प्रत्यावेदन का निस्तारण करने के निर्देश दिये गये, के अनुपालन में जिलाधिकारी बरेली ने प्रकरण की सुनवाई एवं उप जिलाधिकारी नवाबगंज से निवास सम्बंधी जांच उपरान्त अपने पत्रांक : एस0एस0ए0 / 3031–3422006–07 दिनांक 11.7. 2006 के द्वारा निर्णय दिया गया कि श्री विपिन कुमार पुत्र श्री रामेश्वर दयाल ग्राम बीजामऊ वि0क्षे0 नवाबगंज में निवास नहीं कर रहे हैं इसलिए यह चयन हेतु पात्र नहीं हैं अतः इनका प्रत्यावेदन बलहीन होने के कारण प्रा0वि0 बीजामऊ वि0क्षे0 नवाबगंज में शिक्षामित्र के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जा सकता, उक्त विद्यालय में पुनः प्रस्ताव के उपरान्त नये सिरे से चयन किया जाना ही उचित है।

2. रिट याचिका सं0 37293/06 श्री छत्रपाल ग्राम सिजौलिया, श्री भुवनेश कुमार ग्राम डंडियावीरम नगला, गायत्री रानी ग्राम डंडियावीरम नगला, श्री छोटे लाल ग्राम परोथी, कमला देवी ग्राम रहमतुल्लापुर वि0क्षे0 नवाबगंज बनाम उ0प्र0 सरकार आदि में पारित आदेश दिनांक 18.7.2006 एवं रिट याचिका सं0 32442/06 भुवनेश कुमार बनाम उ0प्र0 सरकार आदि में पारित आदेश दिनांक 19.6.2006 जिसमें जिलाधिकारी बरेली को सुनवाई कर प्रकरण का निस्तारण करने के निर्देश दिये गये, के अनुपालन में जिलाधिकारी बरेली ने प्रकरण की सुनवाई उपरान्त तथा शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडियट के समकक्ष पंडित परीक्षा गुरूकुल वृन्दावन बोर्ड की मान्यता सम्बंधी शिक्षा निदेशक; माध्यमिकद्ध एवं सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद को पत्र लिखा गया, सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ0प्र0 इलाहाबाद ने अपने पत्रांक : परिषद्–9/656/ दिनांक 13.10.06 के द्वारा अवगत कराया गया कि परिषदी विनियमों के अध्याय 14 के विनियम 2(30) के प्राविधानों अनुसार गुरूकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन द्वारा संचालित अधिकारी परीक्षा की हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष मान्य है गुरूकुल विश्वविद्यालय की पंडित परीक्षा परिषद् की इण्टरमीडियट परीक्षा के समकक्ष मान्य नहीं है, से प्राप्त आख्या के अनुसार जिलाधिकारी बरेली ने पत्रांक : एस0एस0ए0/3035–38/2006–07 दिनांक 11.1.2006 के द्वारा निर्णय दिया कि याचीगण द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये शैक्षिक प्रमाण पत्र जो पंडित परीक्षा उत्तीर्ण के हैं वह इण्टरमीडियट परीक्षा के समकक्ष मान्य नहीं हैं इसलिए शिक्षामित्र के पद पर चयन हेतु पात्र नहीं हैं अतः इनका चयन शिक्षामित्र के पद पर चयन नहीं किय जा सकता।

3. रिट याचिका सं0 53162/06 प्रेमचन्द बनाम उ0प्र0 सरकार आदि में पारित आदेश दिनांक 22.9.2006 में जिलाधिकारी को सुनवाई कर प्रकरण का निस्तारण करने के निर्देश दिये गये, के अनुपालन में जिलाधिकारी बरेली ने प्रकरण की सुनवाई उपरान्त पत्रांक : एस0एस0ए0/2761–63/2006–07 दिनांक 11.12.2006 के द्वारा निर्णय दिया गया कि प्रा0वि0 मझौआ वि0क्षे0 रामनगर में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण के आधार पर महिला अभ्यर्थी का ही चयन किया जाना था, याची पुरूष अभ्यर्थी थे इसलिए याची के चयन नहीं किया गया चूंकि याची चयन हेतु पात्र नहीं हैं इसलिए चयन नहीं किया जा सकता।

4. रिट याचिका सं0 60187/06 रितु सिंह बनाम उ0प्र0 सरकार आदि में पारित आदेश दिनांक 3.11.2006 जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जिलाधिकारी बरेली को प्रकरण में सुनवाई कर निस्तारण करने के निर्देश दिये गये, के अनुपालन में जिलाधिकारी बरेली ने प्रकरण की सुनवाई उपरान्त पत्रांक : एस0एस0ए0/2755–57 दिनांक 11.12.2006 के द्वारा निर्णय दिया कि याची का कहना है कि चयनित अभ्यर्थी ग्राम फुलासी में नहीं रहती। जबकि ग्राम प्रधान द्वारा लिखा गया है कि सरिता देवी ग्राम फुलासी में ही रहती हैं चयनित अभ्यर्थी का निवास प्रमाण पत्र ग्राम फुलासी का ही लगा हुआ है याची ने चयनित अभ्यर्थी को, जिस ग्राम लीलौर का निवासी बताया है इस ग्राम का उप जिलाधिकारी ऑवला ने श्री विश्वनाथ सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह की शिकायत पर की गयी जांच में सरिता देवी को लीलौर में निवासी नहीं करती हैं बताते हुए निर्णय दिया है इसलिए याची का कथन गलत है। ग्राम प्रधान एवं निवास प्रमाण पत्र व सुनवाई के समय दिये बयान के अनुसार सरिता देवी ग्राम फुलासी में ही उनके पति से अनबन होने के कारण अपने पिता के पास निवास कर रहीं हैं इसलिए याची द्वारा कही बातों को मानकर चयनित शिक्षामित्र का चयन निरस्त कर याची कु0 रितु सिंह का चयन नहीं किया जा सकता।
5. रिट याचिका सं0 49560/06 देवीदास बनाम उ0प्र0 सरकार आदि में पारित आदेश दिनांक 8.9.2006 जिसमें जिलाधिकारी बरेली को सुनवाई उपरान्त प्रकरण का निस्तारण करने के निर्देश दिये गये, के अनुपालन में जिलाधिकारी बरेली ने प्रकरण की सुनवाई उपरान्त पत्रांक : एस0एस0ए0/2758–60/2006–07 दिनांक 11.12.2006 के द्वारा निर्णय दिया कि याची श्री देवीदास आरक्षण से बाहर अनौपचारिक अनुदेशक को आरक्षण में छूट दिया जाने का प्राविधान नहीं है प्रा0वि0 उदयभानपुर में चयन अनु0 जाति का ही किया जाना है इसलिए याची चयन हेतु पात्र नहीं पाये गये, याची द्वारा कही गयी बात बलहीन हैं इनका चयन शिक्षामित्र के पद पर नहीं किया जा सकता।

6. रिट याचिका सं0 52271/06 गुलाम कादिर बनाम उ0प्र0 सरकार आदि में पारित आदेश दिनांक 19.9.2006 में निर्देश दिये गये कि जिलाधिकारी बरेली प्रकरण में सुनवाई कर याची के प्रत्यावेदन का निस्तारण करें, के अनुपालन में जिलाधिकारी बरली ने प्रकरण की सुनवाई उपरान्त पत्रांक : एस0एस0ए0/2764–66/2006–07 दिनांक 11.12.2006 के द्वारा निर्णय दिया कि चयनित अभ्यर्थी श्री विकेश सिंह पूर्व अनौपचारिक अनुदेशक है याची भी अनौपचारिक अनुदेशक था उसकी जन्मतिथि 1.7.65 थी, चयन वर्ष 1.7.2005 को याची की आयु 40 वर्ष 1 दिन थी, शासनादेश सं0 4009/79–5–2005–282/98 शिक्षा अनुभाग –5 लखनऊ दिनांक 10.10.2005 में शिक्षामित्र के चयन हेतु आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गयी है और पूर्व में कार्यरत रहे अनौपचारिक अनुदेशक को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान करते हुए प्रथम वरीयता पर नियुक्त किये जाने का प्राविधान है याची श्री गुलाम कादिर अनौपचारिक अनुदेशक थे किन्तु इनकी आयु निर्धारित आयु से चयन वर्ष 1 जुलाई 2005 को 1 दिन अधिक थी इसलिए याची का चयन नहीं किया जा सकता।

7. रिट याचिका सं0 48560/06 इमरान खां बनाम उ0प्र0 सरकार आदि में पारित आदेश दिनांक 5.9.2006 जिसमें जिलाधिकारी बरेली को प्रकरण की सुनवाई कर याची के प्रत्यावेदन का निस्तारण करने के निर्देश दिये गये, के अनुपालन में जिलाधिकारी बरेली ने प्रकरण की सुनवाई उपरान्त पत्रांक : एस0एस0ए0/2363–67/2006–07 दिनांक 27.10.2006 के द्वारा निर्णय दिया गया कि ग्राम प्रधान ने कम अंक के अभ्यर्थी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से श्री विनीत कुमार मिश्रा का आवेदन पत्र 10.3.2006 को नहीं लिया, तब उसने दिनांक 13.3.2006 को जिलाधिकारी बरेली से शिकायत की। दिनांक 11.3. 2006 को द्वितीय शनिवार एवं 12.3.2006 को रविवार का अवकाश था। कार्यालय खुलने पर उसने शिकायत की और जिलाधिकारी ने अधिक अंक होने के कारण उसे चयन हेतु पात्र समझा इसलिए आवेदन पत्र सम्मिलित करने के आदेश जारी कर दिये, जो सही थे। याची के अंक चयनित अभ्यर्थी से कम है इसलिए चयन नहीं किया जा सकता।

8. रिट याचिका संख्या 40098/06 पूनम देवी बनाम उ0प्र0 सरकार आदि में पारित आदेश दिनांक 28.7.2006 जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जिलाधिकारी बरेली को प्रकरण की सुनवाई कर याची के प्रत्यावेदन का निस्तारण के निर्देश दिये गये, के अनुपालन में जिलाधिकारी बरेली ने प्रकरण की सुनवाई के उपरान्त पत्रांक : एस0एस0ए0/2373–79/2006–07 दिनांक 27.10.2006 के द्वारा निर्णय दिया कि प्रा0वि0 कैनी शिवनगर वि0क्षे0 मझगवां के शिक्षामित्र

चयन पर विवाद था और उसी चयन के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका 11739/05 दायर हुई में पारित आदेश दिनांक 1.3. 2005 के अनुपालन में पूर्व जिलाधिकारी बरेली ने 16.4.2005 को पुनः प्रस्ताव कराये जाने का निर्णय दिया जिसके अनुपालन में दिनांक 20.9.2005 को पुनः प्रस्ताव ग्राम शिक्षा समिति ने त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव पारित किया जिसमें उल्लेख किया कि ''समस्या के समाधान हेतु दोनों विद्यालय कैनी शिवनगर एवं महोबा में किया जाता है''। जो नियमानुसार नहीं था क्योंकि इस प्रस्ताव में प्रा0वि0 महोबा में चयन नहीं किया जाना था, प्रा0वि0 महोबा का विज्ञापन दिनांक 27.10.2005 के समाचार पत्र में वर्ष 2005–06 में स्वीकृत पदों के सापेक्ष प्रकाशित हुआ जिसका प्रस्ताव ग्राम शिक्षा समिति ने 28.11.2005 को पारित हुआ जिसमें पूनम देवी चयन हेतु पात्र थी जब 28.11.2005 को ग्राम शिक्षा समिति ने प्रा0वि0 महोबा का अलग प्रस्ताव कर दिया तो पूर्व 20.9.2005 के प्रस्ताव औचित्य ही नहीं रहा, चूंकि पत्रावली/प्रस्ताव/वरीयता सूची अलग–अलग तिथि और अलग–अलग वर्ष की थी इसलिए चयन भी अलग–अलग किया जाना था, वरीयता सूची सम्मिलित करने का कोई औचित्य नहीं बनता। अतः प्रा0वि0 कैनी शिवनगर में चयनित श्री फूल सिंह सोलंकी एवं प्रा0वि0 महोबा में चयनित पुनीता रानी शिक्षामित्रों का चयन निरस्त किया जाता है तथा कु0 पूनम देवी पुत्री श्री नरेन्द्र कुमार प्रा0वि0 महोबा में ग्राम शिक्षा समिति के प्रस्ताव/वरीयता सूची दिनांक 28.11.2005 को मान्य करते हुए के आधार पर चयनित किया जाता है प्रा0वि0 कैनी शिवनगर में शिक्षामित्र के चयन हेतु नये सिरे से नये आवेदन आमंत्रित कर चयन किया जायेगा। ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष/सचिव को सचेत किया जाता है कि वह प्रा0वि0 कैनी शिवनगर का प्रस्ताव शासनदेश अनुरूप ही पारित करें।

9. रिट याचिका सं0 47058/06 सुधीर कुमार बनाम उ0प्र0 सरकार आदि में पारित आदेश दिनांक 29.08.2006 जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जिलाधिकारी बरेली को प्रकरण की सुनवाई कर याची का प्रत्यावेदन निस्तारित करने के निर्देश दिये, के अनुपालन में जिलाधिकारी बरेली द्वारा प्रकरण की सुनवाई उपरान्त पत्रांक : एस0एस0ए0/2380–84/2006–07 दिनांक 27.10. 2006 के द्वारा निर्णय दिया गया कि ग्राम पंचायत के दोनों प्रा0वि0 लीलौर सहसा एवं रम्पुरा भूड में पूर्व से एक–एक पुरूष अभ्यर्थी कार्यरत थे, दोनों विद्यालय में एक–एक पद रिक्त था जिसक पर 50 प्रतिशत महिला आरक्षण के आधार पर दोनों विद्यालयों में महिला अभ्यर्थी का चयन किया जाना था उक्त वरीतया सूची से क्रम 10 पर अंकित सीमा देवी को प्रा0वि0 लीलौर एंव दुर्गेश नन्दिनी को रम्पुरा भूड में चयन कर दिया गया, क्रम 3 पर अंकित महिला सरिता देवी का निवास प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया था शेष सभी अभ्यर्थी पुरूष थे जो चयन हेतु पात्र नहीं थे क्योंकि उक्त दोनों विद्यालयों में महिला का

चयन होना था। प्रा0वि0 लीलौर सहसा एवं रम्पुरा भूड वि0 क्षे0 रामनगर बरेली में जो चयन किया गया है 50 प्रतिशत महिला आरक्षण के आधार पर ग्राम पंचायत से प्राप्त वरीयता सूची से किया गया है जो सही है याची पुरूष अभ्यर्थी है इसलिए चयन हेतु पात्र नहीं पाया गया। अतः याची श्री सुधीर कुमार सिंह शिक्षामित्र के पद पर नहीं किया जा सकता।

10. रिट याचिका सं0 41393/06 महेशपाल सिंह बनाम उ0प्र0 सरकार आदि में पारित आदेश दिनांक 2.8.2006 जिसमें जिलाधिकारी बरेली को प्रकरण में सुनवाई कर याची के प्रत्यावेदन का निस्तारण के निर्देश दिये गये, के अनुपालन में जिलाधिकारी बरेली ने प्रकरण में सुनवाई उपरान्त पत्रांक : एस0एस0ए0/2163–65/2006–07 दिनांक 15.9.2006 के द्वारा निर्णय दिया गया कि चयनित अभ्यर्थी सावित्री देवी ग्राम पंचायत सुनरासी की निवासी और वह महिला आरक्षण के आधार पर प्रा0वि0 सुनरासी में चयनित है याची श्री महेश पाल आरक्षण से बाहर हैं शासनादेश के अनुसार अनौचारिक अनुदेशक को आरक्षण में छूट दिये जाने का प्राविधान नहीं है अतः याची चयन हेतु पात्र नहीं पाया गया अतः याची का चयन नहीं किया जा सकता।

11. रिट याचिका सं0 38272/06 राम अवतार बनाम उ0प्र0 सरकार आदि में पारित आदेश दिनांक 21.7.2006 जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जिलाधिकारी बरेली को प्रकरण में सुनवाई उपरान्त याची के प्रत्यावेदन का निस्तारण करने के निर्देश दिये गये, के अनुपालन में जिलाधिकारी बरेली द्वारा सुनवाई उपरान्त पत्रांक : एस0एस0ए0/2148–50/2006–07 दिनांक 15.9.2006 के द्वारा निर्णय दिया गया कि याची अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चलाने सम्बंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना व संस्थागत इण्टरमीडियट परीक्षार्थी के रूप में रहना संदिग्धता की स्थिति उत्पन्न हुई है, याची को चयन हेतु पात्र नहीं माना गया इसलिए याची का चयन नहीं किया गया है। अब भी सुनवाई के समय अनौपचारिक केन्द्र चलाने व संस्थागत छात्र रहते हुए, इण्टरमीडियट परीक्षा उत्तीर्ण करने, दोनों कार्य एक साथ करने सम्बंधी कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके तथा अनौचारिक अनुदेशक का प्रमाण पत्र अंतिम तिथि दिनांक 25.11.2005 के बाद 30.11.2005 को प्रस्तुत किया इसलिए याची का चयन नहीं किया जा सकता।

12. रिट याचिका सं0 39454/06 नीतू सिंह बनाम उ0प्र0 सरकार आदि में पारित आदेश दिनांक 26.7.2006 जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा जिलाधिकारी बरेली को सुनवाई कर याची के प्रत्यावेदन का निस्तारण करने के

निर्देश दिया गया, के अनुपालन में जिलाधिकारी बरेली ने सुनवाई उपरान्त पत्रांक : एस0एस0ए0 / 2123–36 / 2006–07 दिनांक 15.9.2006 के द्वारा निर्णय दिया कि चयन वर्ष 2005–06 का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विज्ञापन 26.10.2005 को विज्ञापन प्रकाशित कराया गया था , याची उस समय इण्टरमीडियट परीक्षा उत्तीर्ण नहीं थी क्योंकि याची ने वर्ष 2006 में परीक्षा उत्तीर्ण की है इसलिए याची चयन हेतु पात्र नहीं थी और न याची द्वारा आवेदन किया गया। अतः याची का चयन, याची द्वारा कही गई बातों को मानकर नहीं किया जा सकता।

13. रिट याचिका सं0 39636 / 06 रोहन सिंह बनाम उ0प्र0 सरकार आदि में पारित आदेश दिनांक 26.7.2006 जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा जिलाधिकारी बरेली को प्रकरण में सुनवाई उपरान्त याची के प्रत्यावेदन का निस्तारण करने के निर्देश दिये गये के अनुपालन में जिलाधिकारी बरेली ने सुनवाई उपरान्त पत्रांक : एस0एस0ए0 / 2137–39 / 2006–07 दिनांक 15.9. 2006 के द्वारा निर्णय दिया गया कि याची श्री रोहन सिंह के चयन के समय मानदेय भुगतान से सम्बंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं थे और ना ही विभाग द्वारा जारी कोई प्रमाण पत्र उपलब्ध था, इनके अनौपचारिक अनुदेशक के पद पर रहने का कोई ठोस प्रमाण नहीं था इसलिए याची का चयन किया जाना सम्भव नहीं है।

14. रिट याचिका सं0 41261 / 06 योगेन्द्र पाल सिंह बनाम उ0प्र0 सरकार आदि में पारित आदेश दिनांक 2.8.2006 एवं रिट याचिका सं0 31183 / 06 यतीन्द्र पाल सिंह बनाम उ0प्र0 सरकार आदि में पारिक आदेश दिनांक 13.7.2006 जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जिलाधिकारी बरेली को प्रकरण में सुनवाई कर याची के प्रत्यावेदन निस्तारित करने के निर्देश दिये गये, के अनुपालन में जिलाधिकारी बरेली ने प्रकरण में प्रभावित अभ्यर्थियों एवं अन्य पक्षकारों की सुनवाई उपरान्त पत्रांक : एस0एस0ए0 / 2125–32 / 2006–07 दिनांक 15.9.2006 के द्वारा निर्णय दिया गया कि याचीगण के आवेदन प्र0अ0 द्वारा प्रस्ताव / वरीयता सूची सम्मिलित नहीं किये गये और जिसका चयन करना था उसका आवेदन लेकर सम्मिलित कर, चयन कर लिया गया, क्योकि वरीयता सूची में मात्र 5 आवेदन पत्र है जिसमें महेन्द्र पाल को पात्र बनाया गया, उसके नीचे के 3 आवेदन कम आयु लेकर दर्शाये गये एवं पहले स्थान का आवेदन ग्राम पंचायत के बाहर का दर्शाया गया। इस प्रकार 5 में से 4 अपात्र घोषित कर, मात्र महेन्द्र पाल को पात्र बनाकर गलत चयन कराया गया जो निरस्त करने के योग्य है, क्योंकि प्रस्ताव / वरीयता सूची व आवेदन पत्र एक रूपता न होना समझ से परे है अतः श्री महेन्द्र पाल का चयन निरस्त किया जाता है तथा

ग्राम शिक्षा समिति को निर्देशित किया जाता है कि वह पूरे ग्राम पंचायत में डुगडुगी पिटवाकर, प्रचार–प्रसार कराकर नये सिरे से आवेदन पत्र आमंत्रितकर पुनः प्रस्ताव कर चयन हेतु पात्र अभ्यर्थी का चयन प्रस्तावित कर पत्रावली प्रस्तुत करें।

15. रिट याचिका सं0 40688/06 अनिल कुमार बनाम उ0प्र0 सरकार आदि में पारित आदेश दिनांक 1.8.2006 जिसमें माननीय उच्च न्यायलय इलाहाबाद द्वारा जिलाधिकारी बरेली को प्रकरण में सुनवाई कर याची के प्रत्यावेदन का निस्तारण करने के निर्देश दिये गये, के अनुपालन में जिलाधिकारी बरेली द्वारा प्रकरण में सुनवाई उपरान्त पत्रांक एस0एस0ए0/2140–43/2006–07 दिनांक 15.9.2006 के द्वारा निर्णय दिया गया कि याची ने अपने प्रत्यावेदन जो बात कही है वह मनगंढत है जो मानने योग्य नहीं है क्योंकि अभिलेखों के अनुसार श्री रामनिवास चयनित अभ्यर्थी ने अनौपचारिक अनुदेशक के रूप में अनौपचारिक केन्द्र का संचालन किया है जिसके आधार पर चयन किया गया है। याची शिक्षामित्र के पद पर चयन हेतु पात्र नहीं है क्योंकि याची के अंको का प्रतिशत चयनित अभ्यर्थी से कम है इसलिए याची श्री अनिल कुमार का चयन नहीं किया गया।

16. रिट याचिका सं0 39216/06 रमेश चन्द्र बनाम उ0प्र0 सरकार आदि में पारित आदेश दिनांक 1.7.2006 जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जिलाधिकारी बरेली को प्रकरण में सुनवाई कर याची के प्रत्यावेदन निस्तारण करने के निर्देश दिये गये, के अनुपालन में जिलाधिकारी बरेली ने पत्रांक : एस0एस0ए0/2151–53/2006–07 दिनांक 15.9.2006 के द्वारा निर्णय दिया गया कि श्री रमेश चन्द्र एन0डी0पी0एस0 के संगीन अपराध में जेल भेजे गये और दिनांक 4.1.2006 से 3.2.2006 तक जेल में रहे हैं इसलिए याची को शिक्षामित्र जैसे आदर्श पद पर नियुक्त किया जाना न्याय संगत नहीं है अतः याची को पुनः चयन कर विद्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जा सकता।

17. रिट याचिका सं0 38242/06 ख्याली राम बनाम उ0प्र0 सरकार आदि में पारित आदेश दिनांक 21.7.2006 जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा जिलाधिकारी बरेली को प्रकरण में सुनवाई कर याची के प्रत्यावेदन का निस्तारण करने के निर्देश दिये गये, के अनुपालन में जिलाधिकारी बरेली ने प्रकरण में सुनवाई उपरान्त पत्रांक : एस0एस0ए0/2154–62/2006–07 दिनांक 15.9.2006 के द्वारा निर्णय दिया कि प्रा0वि0 बरनाई केशोपुर वि0क्षे0 भुता में जो चयन प्रथम पद पर किया गया है वह सही है द्वितीय पद अनारक्षित पर उप

जिलाधिकारी फरीदपुर की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा यह चयन प्रस्तावित किया गया नियमानुसार नहीं है क्योंकि क्रम 1 पर अभ्यर्थी का चयन किया गया है उस पर शासनादेश संख्या 4009/79–05–2005–282/98 दिनांक 10.10. 2005 में दिये गये प्राविधानों अनुसार अनौपचारिक अनुदेशक/पर्यवेक्षक का चयन कम अंक होते हुए भी द्वितीय पद अनारक्षित पर प्रथम वरीयता पर किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख एवं याची व विपक्षी के बयान के समय देखे गये अभिलेखों के अनुसार याचाी अनुदेशक के रूप में कार्यरत रहने के कारण शिक्षामित्र के पद पर कम अंक होते हुए चयन हेतु पात्र थे क्योंकि अनौपचारिक अनुदेशक को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की गयी और प्रथम वरीयता पर रखे जाने का प्राविधान है। प्रा0वि0 बरनाई केशोपुर में द्वितीय पद अनारक्षित पर श्री संजीव कुमार का चयन गलत किया गया है जो निरस्त होने योग्य है याची श्री ख्याली राम गौतम अनौपचारिक अनुदेशक थे और प्रा0वि0 बरनाई केशोपुर में द्वितीय पद अनारक्षित पद चयन हेतु पात्र थे, का चयन शासनादेश के अनुरूप होना चाहिए अतः संजीव कुमार का शिक्षामित्र पद पर चयन निरस्त किया जाता है तथा उनके स्थान पर प्रा0वि0 बरनाई केशोपुर में श्री ख्याली राम गौतम पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद अनौपचारिक अनुदेशक इसी ग्राम पंचायत के मजरा कुइंया रामपुर के निवासी का चयन किया जाता है।

18. रिट याचिका सं0 40292/06 वीरपाल कौर बनाम उ0प्र0 सरकार आदि में पारित आदेश दिनांक 1.8.2006 जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जिलाधिकारी बरेली को प्रकरण में सुनवाई याची के प्रत्यावेदन का निस्तारण करने के निर्देश दिये गये, के अनुपालन में जिलाधिकारी बरेली ने प्रकरण में सुनवाई उपरान्त पत्रांक : एस0एस0ए0/2145–47/2006–07 दिनांक 15.9. 2006 के द्वारा निर्णय दिया कि याची जिस ग्राम में चयन की मांग कर रही है उसी ग्राम की निवासी महिला अभ्यर्थी उपलब्ध थी उसके अंक याची से अधिक थे प्रा0वि0 आनन्दपुर में उसी ग्राम का निवासी अभ्यर्थी उपलब्ध था जिसके अंक भी याची से अधिक थे इसलिए याची का प्रा0वि0 माधौपुर एवं आनन्दपुर लेखराज में नहीं किया गया ग्राम पंचायत का प्रा0वि0 विक्रमपुर मात्र शेष बचा जिसमें पुरूष अभ्यर्थी पहले से कार्यरत था इस कारण 50 प्रतिशत महिला आरक्षण का लाभ देकर याची श्रीमती वीरपाल कौर का चयन किया गया। याची ग्राम माधोपुर एवं आनन्दपुर लेखराज में चयन हेतु पात्र नहीं थी इसलिए चयन नहीं किया गया। प्रा0वि0 विक्रमपुर के लिए पात्र पायी गयी और विक्रमपुर में चयन कर प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया। श्री वीरपाल कौर प्रशिक्षण पहले प्राप्त किया प्र0अ0 व सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी ने गलत तरीके से बिना जिला चयन समिति की अनुमति लिये कार्यभार ग्रहण करा दिया जो न्याय संगत नहीं था जिसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली ने प्रा0वि0

माधौपुर में नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी मधु बाला की शिकायत पर अपने अपने विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के आदेश जारी किये, जो सही हैं ग्राम पंचायत में चयनित अभ्यर्थी क्रमशः शासनादेश के अनुसार प्रा0वि0 माधौपुर में मधुबाला प्रा0वि0 आनन्दापुर में धर्मेन्द्र कुमार, प्रा0वि0 विक्रमपुर में वीरपाल कौर अपने अपने विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगी तथा ग्राम शिक्षा समिति सम्बंधित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कराकर मानदेय का भुगतान करेगी।

19. रिट याचिका सं0 21223/06 नेकपाल बनाम उ0प्र0 आदि में पारित आदेश दिनांक 19.4.2006 जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जिलाधिकारी बरेली को प्रकरण में सुनवाई कर, याची के प्रत्यावेदन का निस्तारण करने के निर्देश दिये गये, के अनुपालन में जिलाधिकारी बरेली ने प्रकरण की सुनवाई उपरान्त मुख्य चिकित्साधिकारी बरेली से विकलांग प्रमाण पत्र का सत्यापन कराते हुए पत्रांक : एस0एस0ए0/1902–04/2006–07 दिनांक 24.08.2006 के द्वारा निर्णय दिया गया कि चयनित अभ्यर्थी का विकलांग प्रमाण पत्र सही है तथा शासनादेश के अनुसार ही श्री कृष्ण पाल का चयन किया गया है याची के अंक चयनित अभ्यर्थी से कम हैं इसलिये याची का चयन नहीं किया है। अतः याची चयन हेतु पात्र नहीं पाये गये इसलिए याची का चयन नहीं किया जा सकता।

20. रिट याचिका सं0 35522/06 शालू तोमर बनाम उ0प्र0 सरकार आदि में पारित आदेश दिनांक 11.7.2006 जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जिलाधिकारी बरेली को प्रंकरण में सुनवाई उपरान्त याची के प्रत्यावेदन का निस्तारण करने के निर्देश दिये गये, के अनुपालन में जिलाधिकारी बरेली ने दोनों पक्षों की सुनवाई उपरान्त पत्रांक : एस0एस0ए0/1905–11/2006–07 दिनांक 24.8.2006 के द्वारा निर्णय दिया कि शिक्षामित्र चयन हेतु विज्ञापन समाचार पत्र में दिनांक 27.10.2005 को प्रकाशित हुआ और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25.11.2005 निर्धारित थी जिसमें आवेदन पत्र जमा करने का समय लगभग 28 दिन का था। कु0 अंजना तोमर ने प्र0अ0 द्वारा आवेदन पत्र न लेने की शिकायत लगभग 10 दिन के उपरान्त 5.12.2005 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली की, जबकि आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र न लेने की शिकायत निर्धारित तिथि तक ही करनी चाहिए थी यदि दिनांक 25.11.2005 को किन्हीं कारणों से शिकायत नहीं कर सकी तो अगले दिन 26.11.2005 को करनी चाहिए थी किन्तु शिकायतकर्ता कु0 अंजना तोमर द्वारा ऐसा नहीं किया गया। लगभग 10 दिन के बाद आवेदन पत्र न जमा करने की शिकायत करना न्याय संगत नहीं है अतः अंजना तोमर का आवेदन पत्र निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त हुआ इसलिए चयन हेतु पात्र नहीं पायीं गयीं। कु0 अंजना तोमर का

चयन प्रा0वि0 घारमपुर को निरस्त करते हुए शालू तोमर याची का चयन प्रा0वि0 घारमपुर वि0क्षे0 फरीदपुर बरेली में किया जाता है।

21. रिट याचिका सं0 35229/06 सीमा गंगवार बनाम उ0प्र0 सरकार आदि में पारित आदेश दिनांक 10.7.2006 जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जिलाधिकारी बरेली को प्रकरण में सुनवाई कर, याची के प्रत्यावेदन का निस्तारण करने के निर्देश दिये गये, के अनुपालन में जिलाधिकारी बरेली ने प्रकरण में सुनवाई उपरान्त पत्रांक : एस0एस0ए0/1895–97/2006–07 दिनांक 24.8.2006 के द्वारा निर्णय दिया गया कि सीमा गंगवार की शादी एक वर्ष पूर्ण हो जाने के कारण चयन के समय ढकिया बर्कली में निवास नहीं कर रहीं थी तथ्यों को छिपाते हुए अपना निवास प्रमाण पत्र जारी कराया जिसे उप जिलाधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया इसलिए याची सीमा गंगवार का चयन प्रा0वि0 ढकिया बर्कली वि0क्षे0 भदपुरा नहीं किया जा सकता।

22. रिट याचिका सं0 34437/06 अमित कुमार बनाम उ0प्र0 सरकार आदि में पारित आदेश दिनांक 5.7.2006 जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जिलाधिकारी बरेली को प्रकरण में सुनवाई कर निस्तारण करने के निर्देश दिये गये, के अनुपालन में जिलाधिकारी बरेली ने प्रकरण में सुनवाई उपरान्त पत्रांक : एस0एस0ए0/1892–94/2006–07 दिनांक 24.8.2006 के द्वारा निर्णय दिया गया कि ग्राम पंचायत गुरगावां के प्रा0वि0 लभारी एवं गुरगावां में याची अमित कुमार का चयन इसलिए नहीं किया गया कि प्रा0वि0 गुरगावां में प्रथम पद अनौपचारिक अनुदेशक पुरूष अभ्यर्थी का हुआ है द्वितीय पद पर 50 प्रतिशत महिला आरक्षण के आधार पर महिला अभ्यर्थी का चयन हुआ है प्रा0वि0 लभारी में द्वितीय पद अनारक्षित अनौपचारिक अनुदेशक का चयन किया गया है जो शासनादेश सं0 4009/79–5–2005–282/98 शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ दिनांक 10.10.2005 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार किया गया है शासनादेश में अनौपचारिक अनुदेशकों को प्रथम वरीयता के आधार नियुक्त किये जाने का प्राविधान है। ग्राम पंचायत में जो चयन किये गये है वह नियमानुसार परिसीमन के आधार पर शासनादेश के अनुरूप ही किये गये हैं याची अमित कुमार चयन हेतु पात्र नहीं पाये गये इसलिए याची चयन नहीं किया जा सकता।

23. रिट याचिका सं0 65840/06 अमित कुमार बनाम उ0प्र0 सरकार आदि पारित आदेश दिनांक 4.12.2006 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने जिलाधिकारी बरेली के आदेश दिनांक 24.7.2006 को दिया गया निर्णय का,

अगली तिथि तक के लिए स्थगित कर दिया गया, इसमें विभाग की ओर से प्रति शपथ पत्र पूर्व में ही दाखिल कर दिया गया है।